(1)

औरंगाबाद छावनी AURANGABAD CANTONMENT

वर्ष 2025-2028 के लिए सम्पत्तियों का त्रैवार्षिक कर निर्धारण हेतु छावनी अधिनियम , 2006 धारा 116 के अधिन दिया गया जानकारी प्रपत्र |

INFORMATION PROFORMA FOR TRIENNIAL ASSESSMENT OF PROPERTIES FOR THE YEAR 2025-2028 GIVEN UNDERSECTION 116 OF THE CANTONMENTS ACT, 2006.

यंगनि (टकान (योगार्टरी क	ा नाम (अगर कोई है) :	
	/SHOP/SOCIETY (IF ANY)	
	/NAME OF OWNERS, HORs etc.	
जमीन तथा इमारत की अंदा		
APPROX. COST OF LA	NDS & BUILDING :- Rs.	
—————————————————————————————————————	: आर. सी.सी / लोड बियरिंग /शेड /अन्य	
DESCRIPTION OF CONS	TRUCTION: R.C.C./LOAD BEARING/SHED/OTHER.	
ऐसे मकान /इमारत जिनका	अब तक कर निर्धारण नहीं हुआ है , तो निन्मलिखित कागजात प्रस्तुत करे	
	STRUCTIONS WHICH HAVE NOT BEEN ASSESSED TILL DATE.	
	LLOWING DOCUMENTS:-	
i) अद्यतन जी.एल. आर /LA	TEST G.L.R ABSTRACT	
ii) आवकृत या अनावकृत :_ WHETHER AUTHORISE[
	र्ग राज्यानाजराउँहा रतिलिपि, COPY OF SANCTIONED BUILDING PLAN	
•	/ COPY OF SALE DEED	
संपत्ति का विवरण	/ COLL OF SALE DEED	
DETAILS OF PROPERTY		
(ख) तल मंजिल : मकान का इस्तेमाल निवासी /वाणिज्य		
` '	SE OF HOUSE -RESIDENTIAL/COMMERCIAL	
(ग) कमरों की संख्या	(ख) रसोई घर	
(B) NO. OF ROOMS	(B) KITCHEN	
(घ) स्नान गृह	(घ) प्रसाधनगृह	
C) BATHROOM	(D) TOILET	
कुल मंजिल का वर्ग फूट में उ	· ·	

(ख) पहली मंजिल :	मकान का	इस्तेमाल –निवासी	/ वाणिज्य
(B) FIRST FLOOR	USE OF HOUSE	RESIDENTIAI	_/COMMERCIAL
(च) कमरों की संख्य (C) NO.OF ROOM! (छ) स्नान गृह C) BATHROOM		(ख) रसोई घर (B) KITCHEN (घ) प्रसाधन गृह DILET	
•	5	ल – निवासी	/ वाणिज्य TIAL/COMMERCIAL ोई घर
TOTAL BUILT UP AI सभी मंजिलों का वर्ग TOTAL BUILT UP AI (झ) बाहरी हाउस (ञ) स्टोअर रूम	फूट में कुल बिल्ट अप क्षेत्र : REA OF SECOND FLOOR IN फूट में कुल बिल्ट अप क्षेत्र : REA OF ALL FLOOR IN SQ.F OUT HOUSE / गैरेज GARA STORE ROOM कुल बिल्ट अप क्षेत्र LT UP AREA IN SQ.FT.	(क + ख + ग) = T.(A + B + C) = GE:	
	 अन्य विवरण / OTI		
1. सामान्य जानकारी			
GENERAL INFORM (ग) जल संवर्धन : (B) WATER CONN (घ) बिजली : (B) ELECTRIC CON	है / न		
	ाथा करायेदारों की जानकारी GED: TENANT WISE INFORI		
(ग) श्री /श्रीमती C) SHRI /SMT		_ किराया रु	
(घ) श्री /श्रीमती D) SHRI/SMT		_ किराया रु	

3.	खुली जमीन / प्लाट :-		
	OPEN SPACE /PLOT:-		
	(ग) जगह का कुल क्षेत्रफल		चौ. मी.
	C) TOTAL AREA OF LAND		SQ.MT.
	(घ) जमीन का इस्तेमाल		
	अगर वाणिज्य प्रयोग के लिए इस्तेग	गल होता है , तो मिल रहा वि	राया रु
			मासिक /सालाना .
	D) USE OF LAND		
	IF USED FOR COMMERCIAL PUR	RPOSE, AMOUNT OF RENT	
1	संपत्ति के छत / खुली जमिनपर मोबाइ०	न नान वानोक	MONTHLY/ YEARLY.
4.	होने पर उससे प्राप्त किराया	रा टापर (मनारा)	रु मासिक / सालाना
	हान पर उससे प्राप्त किराया		मासिक / सारााना
•	IF MOBILE TOWER IS PLACED ON THE OF THE PROPERTY, THE AMOUNT C		Rs MONTHLY/YEARLY
5.	संपत्ति का स्थल दर्शक नक्शा:		
	LOCATION PLAN OF PROPERTY:		
			उत्तर दिशा दर्शाते हुए N
	स्थल /PLACE:	मालिक /कब्र	नेदार का नाम तथा हस्ताक्षर
	दिनांक / DATE:	NAME & SIGNAT	URE OF OWNER/ OCCUPIER

टिपण्णी: १) छावनी अधिनियम 2006 की धारा 116(1) अनुसार, यदि कोई व्यक्ति निर्देशित अविध में जानकारी नहीं देता है या जानकारी देने में लापरवाही करता है तथा दी गयी उपरोक्त जानकारी गर गलत पायी जाती है तो धारा 116(2) अनुसार संबधित व्यक्ति को रुपये 5000/- तक दंड लगाया जा सकता है तथा इस अधिनियम की प्रावधान अनुसार उपरोक्त संपत्ति का करनिर्धारण, जो मुक्य कार्यकारी अधिकारी ठिक समझे, किया जायेगा, जो की अंतिम होगा।

NOTE:: (1) As per section 116(1) of the Cantonments Act ,2006, if any person fail to provide information , neglect to furnish information within the period specified in this behalf by the Chief executive Officer or furnishes information, which is not true to the best of his knowledge or behalf, he shall be punishable with fine, which may extend to five thousand rupees and shall be liable to be assessed at such amount on account of tax as the Chief Executive Officer may deem proper, and the assessment so made shall subject to the provisions of the this Act, be final.